श्रावणी मेला, 2013 के तैयारियों के संबंध में दिनांक 18.07.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा संलग्न।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक के उद्देश्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

उपस्थित जिला पदाधिकारियों एवं अपर समाहर्त्ताओं के स्तर से श्रावणी मेला के सम्बन्ध में उनके स्तर से किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत किया गया।

भागलपुर :-समाहर्त्ता, भागलपुर द्वारा मेला आयोजन की तैयारियों का प्रस्तुतीकरण किया गया। श्रावणी मेला का उद्घाटन दिनांक 23.07.2013 को किया जायेगा एवं दिनांक 21.08.2013 तक मेला का आयोजन किया जायेगा। श्रावणी मेला का 14 किलोमीटर का कांवरिया पथ भागलपुर जिलान्तर्गत पड़ता है। लोग सुल्तानगंज से जल उठाते हैं एवं देवघर के लिये प्रस्थान करते हैं। जिला प्रशासन के तरफ से मेला को सफल बनाने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मेला के दौरान 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा विद्युत विभाग द्वारा इसके लिये सारे कार्य सम्पन्न कर लिये गये है। कांवरिया पथ पर लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग एवं नगर परिषद प्रशासन द्वारा चापाकल, शौचालय इत्यादि का पर्याप्त प्रबंध किया गया है। नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता एवं मेला क्षेत्र की दैनिक सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा पंडा पंजीकरण एवं दुकानदार पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है। विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु कुल 1112 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी तथा इसके अनुरूप मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जायेगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की भी मांग की गयी, जिसके प्रत्युत्तर में प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में वे पत्र लिखे तथा उन्हें पर्याप्त पुलिस बल मुहैया करा दी जायेगी। सुरक्षा को ध्यान में रखकर पूरे मेला क्षेत्र को पाँच भागों में विभक्त किया गया है तथा उक्त स्थानों पर सी0सी0 कैमरा लगाकर पर्यवेक्षण कार्य कराया जायेगा ताकि संदिग्ध एवं आपराधिक व्यक्ति के गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। संबंधित विभाग से इसके लिये आवंटन की प्रतीक्षा है। आपातकालीन स्थिति हेतु अग्निशमन वाहन को सदैव तैयार रहेगी। दो मोटरवोट गोताखोर के साथ लगातार घाट क्षेत्र का भ्रमण करते रहेंगे। श्रावणी मेला के समय सुल्तानगंज मेला क्षेत्र में बड़ी आनेवाली वाहनों के पड़ाव हेतु जिला स्तर पर पाँच वाहन पड़ाव स्थलों को अधिसूचित कर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की गयी है। वाहनों के यातायात को रुट चार्ट बनाकर नियंत्रित किया जायेगा। आवासन एवं स्वास्थ्य शिविर की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि से चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भ्रमणशील औषद्यालय की भी व्यवस्था की गयी है। पर्यटन विभाग द्वारा धांधी बेलारी महाशिविर में एक माह तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा तथा प्रतिदिन सुल्तानगंज सीढ़ीघाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया जायेगा। देवघर में जलार्पण हेतु नयी व्यवस्था का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा सुल्तानगंज में ही कांवरियों को Wrist band देने की व्यवस्था की गयी है।

तत्पश्चात् अन्त में समाहर्त्ता, भागलपुर द्वारा श्रावणी मेला के लिये एक vision document का दिग्दर्शन कराया गया।

समाहर्त्ता, भागलपुर ने दो मुद्दों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया :–

1. निम्नांकित पांच स्थलों पर CCTV कैमरा की व्यवस्था–

i सीढ़ी घाट, जहाज घाट, अजगैबी नाथ मंदिर

ii ब्लौक से थाना

iii मुख्य चौक से रेलवे ब्रीज

iv रेलवे स्टेशन से मेला चौक

v धांधी बेलारी, शिविर क्षेत्र।

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने आश्वासन दिया कि इस मद में वांछित राशि (20.00 लाख रूपए) समाहर्त्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी। समाहर्त्ता, आवंटन की प्रत्याशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

समाहर्त्ता, भागलपुर ने लगभग 20–25 महिला आरक्षी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। गृह विभाग इस पर समुचित विचार करेगा।

2. समाहर्त्ता, भागलपुर ने सूचित किया कि सुल्तानगंज मेला क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य शिविर कार्यरत होंगे। एम्बुलेन्स एवं मोबाईल स्वास्थ्य इकाईयाँ भी कार्यरत रहेंगी। उन्होंने लगभग 25 अतिरिक्त चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

स्वास्थ्य विभाग को निदेश दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुंगेर :–समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 26 किलो मीटर कांवरिया पथ उनके जिलान्तर्गत आता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मेला में यातायात, सफाई, सुरक्षा, विद्युत, पेय जल, चिकित्सा, विधि व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठहरने एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। बैठक में यह भी बताया गया कि एक घोरघट बेली ब्रिज क्षतिग्रस्त रहने के कारण दिनांक 18.05.2013 से बन्द है, जिसके कारण इस पर बड़ी गाड़िया नहीं चल सकती है। रुट को लेकर समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। कांवरियों को जमुई से लखीसराय होते हुए आना पड़ेगा। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस संबंध में सुझाव दिया गया कि प्रमण्डलीय आयुक्त स्तर पर बैठक बुलाकर वाहनों के यातायात का मार्ग तय करने की कार्रवाई की जाए। समाहर्त्ता ने मेला पथ पर स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हुये अतिरिक्त चिकित्सकों एवं पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था के साथ–साथ फूड इंस्पेक्टर की व्यवस्था करने का अनुरोध स्वास्थ्य विभाग से किया गया। अतिरिक्त होम गार्ड की व्यवस्था हेतु गृह विभाग से अनुरोध किया गया। जिसपर प्रधान सचिव, गृह सचिव द्वारा कहा गया कि 100 होमगार्ड उपलब्ध करा दिया जायेगा। समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त रुपये पाँच लाख का आवंटन अपर्याप्त बताया गया तथा अतिरिक्त आवंटन देने का अनुरोध किया गया।

बाँका :–समाहर्त्ता, बांका द्वारा बताया गया कि 40 किलो मीटर कांवरिया पथ उनके जिलान्तर्गत आता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यातायात, सफाई, सुरक्षा, विद्युत, पेय जल, चिकित्सा, विधि व्यवस्था, ठहरने एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का व्यौरा दिया गया। विद्युत के लिये जेनरेटर की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। बाँका जिला द्वारा श्रावणी मेला के आयोजन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग से कम आवंटन मिलने के संदर्भ में अनुरोध किया गया कि उन्हें उक्त विभागों से अतिरिक्त आवंटन प्रदान की जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये 30 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति मुहैया कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बाँका जिला में जंगल से गुजरने वाले पथ पर विशेष रुप से अँधेरे के समय रौशनी की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया।

मुजफ्फरपुर :– मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि श्रावणी मेला में बाबा गरीबनाथ, महादेव मंदिर एवं बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जिला स्तर पर विधिवत बैठक कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यातायात, पार्किंग, सफाई, सुरक्षा, विद्युत, पेय जल, चिकित्सा, विधि व्यवस्था, ठहरने के लिये स्कूल कॉलेज तथा क्लब में व्यवस्था की जा रही है। सी0सी0टी0भी0 कैमरे, मेटल डिटेक्टर मंदिर के प्रवेश पथ पर लगाया गया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास वाटर प्रुफ पंडाल लगाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मेला के आयोजन हेतु मांग के अनुरूप आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जेनरेटर की व्यवस्था की गयी है।

लखीसराय :–लखीसराय के प्रतिनिधि द्वारा श्रावणी मेला आयोजन के संबंध में सफल आयोजन हेतु यातायात व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, विधि व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पेय जल, सफाई एवं स्वच्छता, चिकित्सा एवं अन्य बिन्दुओं पर की गयी तैयारियों का विवरण दिया गया। मेला को सफल बनाने हेतु हर संभव प्रयास जिला स्तर से किया जायेगा।

बेगुसराय :–बेगुसराय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरिगिरीधाम मेला सफल बनाने के लिये जिला प्रशासन के तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, विधि व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पेय जल, सफाई एवं स्वच्छता, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की जा रही हैं।
इसके साथ ही पंडाल लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

जमुई :–जमुई जिला में मुख्यतः मेला के समय मुख्यतः सुल्तानगंज एवं देवघर आने–जाने वाले वाहनों/श्रद्धालुओं के यातायात की व्यवस्था की जाती है। लगभग सभी वाहन जमुई जिला से ही गुजरती है। वाहनों को स्कॉट करके ले जाना पड़ता है। विधि व्यवस्था, पेय जल, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक कार्यों की व्यवस्था की गयी है। श्रावणी मेला, 2013 के अवसर पर जिला प्रशासन को मो0 103 लाख रुपये की आवश्यकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उन्हें अभी–तक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्वी चम्पारण :–जिला के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अरेराज में मेला कमिटी गठित है, जो कार्य करती है। श्रावणी मेला आयोजन के संबंध में बताया गया कि चार जोन में बांट कर कैम्प लगाया जा रहा है। पेय जल, शौचालय, स्वच्छता, सफाई, विधि व्यवस्था की समुचित व्यवस्था जिला स्तर द्वारा की जा रही है। वैकल्पिक रूप से जेनरेटर की व्यवस्था भी की गयी है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेशित किया गया कि विगत वर्ष में दिये गये आवंटन/यथार्थ व्यय को ध्यान में रखते हुये 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़कर आवंटन देने की कार्रवाई की जाए।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने समर्पित किया कि मेला एवं राजस्व कचहरी का मद एक ही है, इस मद में 2013–14 में अतिरिक्त आवश्यक राशि के लिए बजट प्रावधान करा लिया जाएगा। सम्प्रति विगत वित्तीय वर्ष में विभिन्न सम्बन्धित जिलों को प्रेषित आवंटन/यथार्थ व्यय को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत राशि जोड़ते हुए आवंटन अविलम्ब निर्गत कर दिया जाएगा।

समीक्षा के क्रम में सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों एवं सभी सम्बन्धित विभागों को निम्नांकि निदेश दिए गए :–

1. विधि व्यवस्था संधारण में आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई, आसूचना संकलन तथा अफवाह नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(अनुपालन :– गृह विभाग / जिला प्रशासन)

2. श्रद्धालुओं के पेय जल की समुचित व्यवस्था की जाय। पुराने चापाकलों की अविलम्ब मरम्मति कराई जाए एवं नये स्थायी / अस्थायी चापाकल स्थापित किए जाएँ। नगर परिषद् के जिम्में जो चापाकल है, वहां उनके स्तर से यह कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / जिला प्रशासन)

3. स्थायी पुराने / नये एवं अस्थायी पुराने / नये शौचालयों का जीर्णोद्धार / निर्माण अविलम्ब पूरा किया जाय।

(अनुपालन :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / जिला प्रशासन)

4. विद्युत आपूर्त्ति के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि ससमय क्षतिग्रस्त तार / पोल बदले जाएँ, आवश्यकतानुसार Separator लगाए जाएँ तथा आवश्यकतानुसार नए ट्रांसफर्मर संस्थापित किए जाएँ।

(अनुपालन :– ऊर्जा विभाग / बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन / जिला प्रशासन)

5. मेला स्थल, कांवरिया आवासन एवं कांवरिया पथ में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, दैनिक सफाई एवं महामारी नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए जाएँ। सरकारी धर्मशालाओं में आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएँ।

(अनुपालन :– जिला प्रशासन / नगर विकास एवं आवास विभाग / स्वास्थ्य विभाग / भवन निर्माण विभाग)

6. कांवरिया पथ / अनुषंगी पथों / पुल–पुलियों के रख–रखाव पर समुचित ध्यान दिया जाय। प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर / भागलपुर प्रमण्डल सुनिश्चित करेंगे कि घोरघट स्थित बेली ब्रीज का उपयोग बड़े वाहन न करें एवं उन्हें अन्य सुयोग्य वैकल्पिक रूट के उपयोग करने के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन :– पथ निर्माण विभाग / आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल / भागलपुर प्रमण्डल / जिला प्रशासन)

7. कांवरिया पथ एवं मेला स्थलों पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सशक्त व्यवस्था की जाय। अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / चलन्त ईकाइयों / एम्बुलेन्स आदि में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं चिकित्सा ईकाइयों की तैनाती की जाय। खाद्य निरीक्षक मेला क्षेत्र / कांवरिया क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन :–स्वास्थ्य विभाग / जिला प्रशासन)

8. यह सुनिश्चित किया जाय कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन :– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग /जिला प्रशासन)

9. श्रावणी मेला से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित दायित्वों का ससमय निर्वहन करेंगे एवं आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–सभी सम्बन्धित विभाग)

ह0/– ह0/–

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

(ए0 के0 सिन्हा)
मुख्य सचिव,
बिहार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–9/सै0–7–मेला बैठक–04/2013 421(9)/रा0 पटना–15, दिनांक– 23-7-13

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/गृह विभाग/ऊर्जा विभाग/भवन निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/पथ निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पर्यटन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/अध्यक्ष, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/मुंगेर प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/समाहर्त्ता भागलपुर/मुंगेर/बांका/जमुई/बेगूसराय/ लखीसराय/मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 23.7.13
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–9/सै0–7–मेला बैठक–04/2013 421(9)/रा0 पटना–15, दिनांक– 23-7-13

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

ह0 23.7.13
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–18.07.2013 को अपराह्न 05.30 बजे श्रावणी मेला, 2013 के तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की उपस्थिति :–

क्र0	नाम	पदनाम	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1				
2				
3	सी॰ अशोकवर्धन	प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार	9473191441	[signature]
4	शिशिर सिन्हा	[illegible]	9835020450	[signature]
5	आमिर सुबहानी	प्रधान सचिव	गृह विभाग	[signature]
6	हुकुम सिंह मीणा	सचिव राजस्व [illegible]	9431018474	[signature]
7	रविन्द्र कुमार	अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय	9431602306	[signature]
8	रवीन्द्र पवार	प्रधान सचिव, लो॰ स्वा॰ अभि॰ विभाग	9431016300	[signature]
9	दिवेश सेहरा	सचिव, [illegible]		[signature]
10	प्रत्यय अमृत	सचिव, पथ		[signature]
11	एस॰ सिद्धार्थ	सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग		[signature]
12	गंगा कुमार	विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग		[signature]
13	प्रवीण किशोर	निदेशक, पर्यटन		[signature]
14	नरेन्द्र कुमार सिंह	जिला पदाधिकारी, मुंगेर		[signature]
15	दीपक आनन्द	जिला पदाधिकारी, बांका		[signature]
16	डा॰ सुरेन्द्र प्रसाद	[illegible]	[illegible]	[signature]